नियमावली

1. संस्था का नाम – समाधान कॉलेज एलुमनी एसोसिएशन बेमेतरा होगा।
2. संस्था का कार्यालय – द्वारा– समाधान महाविद्यालय
   समृद्धि विहार, ग्राम– फरी, पो. बीजाभाठ बेमेतरा
   491335 (छ.ग.)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – **बेमेतरा जिला** होगा।
4. संस्था का उद्देश्य – (जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वहीं लिखें)
   1. जन कल्याण की भावना से एलुमनी एसोसिएशन के समस्त सदस्यों को रक्तदान के लिए प्रेरित करना।
   2. समाधान महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को शिक्षा दान के लिए प्रेरित करना एवं उचित मार्गदर्शन में सहयोग करना।
   3. समाधान एलुमनी एसोसिएशन की भौतिक स्वरूप को समृद्ध करने के लिए एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों से सहायता/सहयोग लेना।
   4. समाधान एलुमनी एसोसिएशन सदस्यों एवं समाधान महाविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को दूसरों की सेवा एवं सहयोग करने के लिए प्रेरित करना।
   5. महाविद्यालय के पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वृक्षारोपण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना।
   6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखने के लिए स्वच्छता कार्यकम आयोजित करना।
   7. समाधान महाविद्यालय के पुस्तकालय को समृद्ध बनाने के लिए समाधान एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों एवं समाधान महाविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को पुस्तक दान के लिए प्रेरित करना।
   8. समाधान एलुमनी एसोसिएशन सदस्यों के द्वारा उत्कृष्ठ कार्यो या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए पुरूस्कार प्रदान और उनके द्वारा की गई उत्कृष्ट सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का उपर्युक्त रूप से पहचानने के लिए प्रेरित करना।
   9. समाधान एलुमनी एसोसिएशन नेतृत्व को बढ़ाने और जुड़े रहने के लिए पूर्व छात्र–छात्राओं एवं अंतिम वर्ष में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं को प्रेरित करना।
   10. समाधान महाविद्यालय एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा चेतना विकास मूल्य शिक्षा को विभिन्न निजी एवं गैर–सरकारी व सरकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करना एवं प्रशिक्षक तैयार करना।
   11. समाधान महाविद्यालय एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा छात्र–छात्राओं को राजगार पुरक जानकारी उपलब्ध कराना तथा उन्हें कैरियर निर्माण संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करना।
   12. समाधान महाविद्यालय एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा इस क्षेत्र के प्रतिभावान खिलड़ियों को मंच प्रदान तथा विभिन्न खेल शिविर व प्रशिक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय एव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिपादन हेतु प्रशिक्षित करना।
   13. एलुमनी एसोसिएशन सदस्यों के द्वारा महाविद्यालय में समय–समय पर धार्मिक, सास्कृतिक, सामाजिक व शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन करना।

Ribhy

14 एलुमनी एसोसिएशन केसदस्यों द्वारा सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में जानकारी देना एवं ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रेरित करना।

15. एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा अध्ययनरत विद्यार्थियों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के किसानों को रेशम उत्पादन के क्षेत्रों की शिक्षा प्रदान करना।

16. एलुमनी एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा रेशम उत्पादन के उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन सहित आधुनिक तरीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करना।

17. छात्रों में शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान उत्पन्न कराना एवं स्वावलम्बन के लिए प्ररित करना।

5 **सदस्यता** – संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे :–

(अ) **संरक्षण सदस्य** :– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 2000/– देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) **आजीवन सदस्य** :– जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 1000/– या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा ।

(स) **साधारण सदस्य** :– जो व्यक्ति रूपये 120/– रू. प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप मे देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य** :– संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक मे भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।

6. **सदस्यता की प्राप्ति** :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप मे आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7. **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(1) भारतीय नागरिक हो ।
(2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(3) समिति के उद्देश्यों एंव नियमो के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

8. **सदस्यता की समाप्तिः**– संस्था की सदस्यता निम्न लिखित स्थिति मे समाप्त हो जावेगी –

(1) चरित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
(2) समिति विरोधी कार्य करने एंव नियमावली की अवहेलना करने पर ।
(3) संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 मे बताये अनुसार जमा न करने पर।
(4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
(5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगा ।

9. **सदस्यता पंजी** :–

संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेगे –

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय.

Ribhy

(2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.
(3) वह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त की गई हो.
(4) सदस्यों के हस्ताक्षर.

10. (अ) **साधारण सभा** :– साधारण सभा के नियम 5 (अ.ब.स.) में दर्शाये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह अगस्त तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिंनाक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे पदाधिकारियो का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) **प्रबंधकारिणी सभा** :– प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आवश्यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यो की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नही होगी ।

(स) **विशेष** :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देष जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :–**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओ के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
(छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. **प्रबन्धकारिणी का गठनः–** ट्रस्टीज यदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम 5 (अ,ब,स) मे दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नाकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।
(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य – 9

13. **प्रबंध समिति का कार्यकालः–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. **प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्यः–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
(स) समिति एंव उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियो के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

Ribhy

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए ।

(च) संस्था की समस्त चल–अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. **अध्यक्ष के अधिकारः–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठको का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकारः–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

17. **सचिव (मंत्री) के अधिकारः–**

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 500/– रूपये व्यय करने का अधिकार होगा ।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार** : सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार** : समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

20. **बैंक खाताः–** संस्था की समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 1000/– रू. रहेगा ।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय–नियत शुल्क के साथ भेजेगी।

22. **संशोधनः–**सस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान मे संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।

23. **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को

सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

24. **सम्पत्ति**:– संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।

25. **बैंक खाता**:– संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट– ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय– समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

26. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना**:– संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एंव संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

27. **विवाद**:– संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे । रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

Ribhy